प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील नं.18300–18305 वर्ष 2017

केन्द्रीय आबकारी और सेवाकर आयुक्त, नोएडा ....अपीलार्थी(गण)

बनाम

मैसर्स संजीवनी नॉन–फेरर्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति, ए.के.सीकरी

इन अपीलों में उठाया गया विवाद्य आयातित एल्युमिनियम स्क्रेप के संबंध में सौदा मूल्य/आंकलन मूल्य से संबंधित से है, जो एतस्मिन प्रत्यर्थी द्वारा आयातित किया गया। प्रत्यर्थी ने उक्त एल्युमिनियम स्क्रेप के विभिन्न प्रकारों को 27 अगस्त 2013 से 29 दिसम्बर 2014 की अवधि में आयातित किया था और आयातित मालों का सौदा मूल्य की घोषणा करते हुए उसके सम्बन्ध में आयात कर भुगतान करने के उद्देश्य से इनवॉयस व खरीदी ऑर्डर के साथ 843 बिल प्रविष्टी को दाखिल किया। घोषित मूल्य को कम होना मानते हुए आंकलन अधिकारी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया। तदनुसार, उक्त घोषित मूल्य अस्वीकार की गयी और आंकलित मूल्य को बढ़ाते हुए पुर्नमूल्यांकन किया गया।

(2) प्रत्यर्थी द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी रिट याचिका में, उच्च न्यायालय के निर्देश पर उप आयुक्त आयात शुल्क, नोएडा ने प्रत्यर्थी द्वारा घोषित आंकलन मूल्य को अस्वीकृत करने का कारण देते हुए और आयातित मालों, स्क्रेप

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एल्युमिनियम की किस्म साथ ही साथ इसमें अन्तर्विष्ट दूसरी धातुओं की उपस्थिति की मात्रा, के मूल्य के दृष्टिगत इसमें वृद्धि करते हुए दिनांक 25 मार्च 2015 को एक सकारण आदेश पारित किया।

(3) आयुक्त(अपील), केन्द्रीय आबकारी और आयात शुल्क, नोएडा के समक्ष अपीले दाखिल कर आंकलन अधिकारी द्वारा पारित आंकलन आदेश दिनांकित 25 मार्च 2015 को चुनौती दी गयी। ये सभी अपीलें खारिज कर दी गयी। आयुक्त (अपील) के आदेश को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी आयात कर, आबकारी और सेवा कर अपील अधिकरण (एतस्मिन पश्चात् अधिकरण कहा गया) में आया। दिनांक 17 जनवरी 2017 के आक्षेपित समान निर्णय से राजस्व द्वारा आंकलन मूल्य की वृद्धि को निरस्त करते हुए प्रत्यर्थी की अपीलों को स्वीकृत किया गया। अधिकरण का यह उक्त आदेश ही इन अपीलों की विषयवस्तु है।

(4) अधिकरण के आदेश का सम्पूर्ण आधार आक्षेपित आदेश के प्रस्तर 7 में है और चूंकि इस प्रस्तर में वह कारण है जिसने अधिकरण को प्राधिकारियों के आदेश के अपास्त करने के लिए राजी किया, नीचें हम इस प्रस्तर को प्रस्तर 8 के साथ रखते हैं जिसने सम्पूर्ण रूप से अपीलों के निष्कर्ष को प्रकट किया.

> "7. प्रतिस्पर्धी तर्कों को ध्यान में रखकर और अभिलेख के अवलोकन पर हम यह पाते हैं कि मूल प्राधिकारी को आंकलन मूल्य की वृद्धि पर सकारण आदेश पारित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। हम यह पाते है कि मूल प्राधिकारी ने दिनांकित 25/03/2015 के अपने मूल आदेश में रिट याचिका के आधार पर टिप्पणी की और विभाग के पास उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक तरह से परीक्षण नहीं किया जिसका आंकलन मूल्य की वृद्धि के लिए परीक्षण किया जाना अपेक्षित था। आगे, हमने पाते हैं कि उपरोक्त विधिक दृष्टान्तों में जैसा निर्धारित किया गया है और आयातकर अधिनियम,1962 की धारा 14 में जैसा प्रावधानित किया गया है, आंकलन मूल्य पर वास्तविक भुगतान मूल्य के आधार पर पहुँचा जाना चाहिए और मूल्य एकमात्र प्रतिफल न होने की स्थिति में या यदि क्रेता और विक्रेता सम्बन्धित व्यक्ति हैं तब यह स्थापित करने के बाद कि मूल्य एकमात्र प्रतिफल नहीं है आंकलन मूल्य अस्वीकृत की जा सकती है और अन्य साक्ष्यों के ध्यान में रखकर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आंकलन मूल्य पर पहुँचा जा सकता है। उपलब्ध इन वादों में ऐसा अभ्यास नहीं किया गया है। इसलिए, हम बिल प्रविष्टी के सम्बन्ध में आंकलन मूल्य की वृद्धि को अस्वीकृत करते हैं जो निर्णीत होने के लिए सभी अपीलों में शामिल है और हम उक्त बिल प्रविष्टी में अपीलार्थी द्वारा घोषित आंकलन मूल्य पुर्नस्थापित करते हैं।

8. परिणाम के रूप में, हम अपील में सभी आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते हैं और सभी अपीलों को स्वीकृत करते हैं। अपीलार्थी पारिणामिक अनुतोषों का हकदार होगा, यदि कोई, विधि के अनुसार हो।

(5) राजस्व के विद्वान अधिवक्ता, श्री के. राधाकृष्ण का यह शुद्ध तर्क था कि स्वंय अधिकरण के अनुसार, आदेश को पलटने का कारण मूल में है –

(a) कि उसने विभाग के पास उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक से परीक्षण नही किया, जिसका आंकलन मूल्य की वृद्धि के उद्देश्य के लिए परीक्षण किया जाना जरूरी था।

(b) आयात कर अधिनियम,1962 की धारा 14 के प्रावधानों और इसके सम्बन्ध में विधिक दृष्टान्तों के अनुसार, आंकलन मूल्य पर वास्तविक भुगतान मूल्य के आधार पर पहुँचा जाना चाहिए और मूल्य एकमात्र प्रतिफल न होने की स्थिति में या यदि क्रेता और विक्रेता संबंधित व्यक्ति हैं तब यह स्थापित होने के बाद कि मूल्य एकमात्र प्रतिफल नहीं है, आंकलन मूल्य अस्वीकृत की जा सकती है। हालांकि, इन वादों में ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है।

(6) यह तर्क दिया गया था कि यदि मूल प्राधिकारी /मूल्यांकन अधिकारी विभाग के पास उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करनें में असफल रहे और मूल्य का एकमात्र प्रतिफल न होने के संबंध में विचार नहीं किया, अधिकरण को प्रकरण आंकलन अधिकारी को साक्ष्यों का परीक्षण और उसके अनुप्रयोग के लिए पुर्नप्रेषित कर देना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, श्री राधाकृष्णन के तर्क का पूरा जोर इस पर था कि प्रत्यर्थी/आंकलक द्वारा दिए गए सौदा मूल्य को स्वीकार करते हुए अपीलों को सीधे अनुमति नहीं दी जा सकती थी और इस संबंध में आंकलन प्राधिकारी को अन्य अवसर दिया जाना चाहिए था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(7) यह तर्क आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन केवल तभी जब अधिकरण के उक्त अवलोकन को केवल सरसरी तौर पर देखते हैं कि आंकलन अधिकारी ने विभाग के पास उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण नहीं किया जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक थे। हालांकि, अधिकरण के अवलोकन को उनकी सम्पूर्णता और उस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा जिनके सम्बन्ध में ये बनाये गये हैं। अधिकरण ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों और विधिक वादों में प्रतिपादित किए गए सिद्धान्तों (जिसे निर्णय के पूर्व भाग में सन्दर्भित किया गया) के अनुसार इन प्रावधानों को अर्थान्वित करते हुए, वास्तविक भुगतान किए गए मूल्य के आधार पर आंकलन मूल्य को निकालना चाहिए। उपरोक्त प्रावधान, अर्थात् धारा 14, में प्रतिस्थापित यह आधारभूत सिद्धांत है, जो इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों की श्रृंखला से प्राप्त किया जा सकता है।

(8) **ईशर ट्रैक्टर लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुम्बई 1(2001) 1 एससीसी 315** के वाद में, इस न्यायालय ने निम्न रूप से अवधारित किया:

> "6. अधिनियम के अन्तर्गत सीमा कर माल पर प्रभार्य(दायी) है। अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार, कर का आकंलन माल के मूल्य पर किया जाता है। धारा 14(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्य निश्चित किया जा सकता है। जहाँ मूल्य इस तरह निश्चित नहीं किया गया है, तो मूल्य धारा 14(1) के अन्तर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए। धारा 14(1) के अनुसार, मूल्य वह कीमत मानी जाएगी जिस पर ऐसे या इस प्रकार के माल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में– परिदान के समय और आयात के स्थान पर साधारणतया बेचे जाते हैं, या विक्रय के लिए प्रस्तावित किये जाते हैं। शब्द "साधारणतया" आवश्यक रूप से "असाधारण" या "विशेष" परिस्थितियों के बहिष्करण को विवक्षित करता है। धारा 14 के अन्तिम वाक्यांश द्वारा यह स्पष्टीकृत है जो एक "साधारण" विक्रय को एक ऐसा "जहाँ विक्रेता और क्रेता का एक दूसरे के व्यापार में कोई हित नहीं है और कीमत विक्रय के लिए एकमात्र प्रतिफल है..." बताता है। धारा 14(1) में प्रतिपादित किए गए इन तीन शर्तों समय, स्थान और विशेष परिस्थितियों की अनुपस्थिति में, आयातित मालों का मूल्य धारा 14(1–A) के अन्तर्गत इसमें बतायें गयें नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

XXX XXX XXX

9. ये अपवाद धारा 14(1) में पूर्ववत् उद्धृत विशेष परिस्थितियों के विस्तार और व्याख्या में हैं। यह बताता है कि जब तक किसी सौदे का वास्तविक भुगतान मूल्य अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता है, आयात कर प्राधिकारी सौदा मूल्य पर कर आकलन को बाध्य है।

XXX XXX XXX

12. नियम 4(1) सौदा मूल्य को बताता है। निश्चित पद का प्रयोग इंगित करता है कि सीमा शुल्क कर के आकंलन के उद्देश्य के लिए मूल्य के रूप में क्या स्वीकार किया जाना चाहिए वह किसी सौदे के लिए वास्तविक भुगतान कीमत है,जब तक धारा 4(2) में बताये गये कारणों के लिए कीमत अस्वीकार किये जाने योग्य न हो। नियम 4(1) की भाषा के सन्दर्भत में "देय" को "विशेष सौदे" को सन्दर्भित करते हुए पढ़ा जाना चाहिए और सौदे के सम्बन्ध में देयता एक ऐसी स्थिति की परिक्लपना करती है जहाँ कीमत का भुगतान स्थगित किया जा सकता है।

XXX XXX XXX

13. यह कि नियम 4 जो कि अन्य नियमों के प्रावधानों द्वारा भी समर्थित है, प्रश्नगत सौदे तक सीमित है जिसमें से प्रत्येक मूल्यांकन के वैकल्पिक प्रणाली की व्यवस्था करता है और माल के मूल्य के साक्ष्य को आंकलन के अन्तर्गत से अन्यथा को उनके आंकलन मूल्य का आधार होने को स्वीकृत करता है। इस प्रकार, नियम 5 एक ही समय में भारत में आयातित एक जैसे मालों के आधार पर सौदा मूल्य अवधारित करने की अनुज्ञा देता है; नियम 6 प्रश्नगत माल के रूप में एक ही समय पर भारत में आयातित समान मालों के मूल्य पर सौदा मूल्य को अवधारित करने की अनुज्ञा देता है। जहाँ भारत में कोई समकालीन आयात नहीं है, मूल्य धारा 7 के अन्तर्गत इसमें प्रावधानित तरीके से कटौती की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाना है। यदि मूल्य की नियम 7–A के अन्तर्गत गणना होना संभव नहीं है। जब आयातित माल का मूल्य इन प्रावधानों में से किसी के अन्तर्गत निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो मूल्य धारा 8 के अन्तर्गत, "इन नियमों के सिद्धांतों व सामान्य प्रावधानों और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के उपधारा (1) के अनुरूप उचित साधनों का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रयोग करके और भारत में उपलब्ध आँकडों के आधार पर" निर्धारित होना आवश्यक है। यदि नियम 4 में प्रयुक्त "सौदा मूल्य" वाक्यांश विशेष सौदे तक सीमा नहीं था तब अन्य नियम जो अन्य सौदों और आँकडा को सन्दर्भित करते हैं, अनाश्यक हो जायेंगे।

XXX XXX XXX

22. हमारे समक्ष मामले में, यह कथित नहीं है कि अपीलार्थी ने वास्तविक भुगतान को गलत रूप से घोषित किया है। ना ही आयातित माल का गलत वर्णन था जैसा कि पड़िया सेल्स कॉरपोरेशन (1993 Supp(4) एससीसी 57) के वाद में था यह प्रत्यर्थी का वह वाद भी नहीं है कि विशेष आयात नियम 4(2) में बतायी गयी किसी भी परिस्थिति में आता हो। सहायक कलेक्टर द्वारा विक्रेता के मूल्य सूची के सिवाय धारा 4(1) के अन्तर्गत सौदा मूल्य को अस्वीकृत करने का कोई कारण नहीं दिया गया है।ऐसा करने में, सहायक कलेक्टर ने ना केवल नियम 4(2) को नजरअंदाज किया बल्कि विक्रेता के मूल्य सूची के आधार पर भी कार्य किया जैसे कि मूल्य सूची सौदा मूल्य का निर्विवाद प्रमाण हो। यह गलत था और स्वयं द्वारा सौदा मूल्य को अस्वीकृत करने का कारण नहीं हो सकता।छूट एक व्यवसायिक–स्वीकारयोग्य माप है जिसका विक्रेता द्वारा स्टोक क्लियरेन्स सहित विभिन्न कारणों से सहारा लिया जा सकता है। मूल्य सूची वास्तव में सामान्य कोटेशन से ज्यादा कुछ नहीं है यह सूचीबद्ध कीमत पर छूट को नहीं रोकता है। वास्तव में, मूल्य सूची के संदर्भ में छूट की गणना की जाती है निःसन्देह इस वाद में स्वयं भारतीय अभिकर्ता द्वारा सामान्य परिस्थितियों में 30% तक की छूट थी यहाँ अतिरिक्त कारक था कि प्रश्नगत स्टॉक पुराना था और यह 5 साल पुराने स्टॉक की एक बार की बिक्री थी। जब कोई छूट व्यावसायिक रूप से अनुज्ञेय है और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि इसे पुराने स्टॉक को खरीदने के इच्छुक किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा, इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों प्रश्नगत घोषित मूल्य को नियम 4(1) के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

(9) इसी प्रभाव के उक्त सिद्धान्तों को दोहराते हुए अन्य निर्णय जैसे **सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता बनाम साउथ इण्डिया टेलीविजन(प्रा.) लिमिटेड 2(2007)6 एससीसी 373, चौधरी शिप ब्रेकर्स बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद 3(2010) 10 एससीसी 576 और सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम बनाम अग्रवाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 4(2012) 1 एससीसी 186** हैं।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(10) इस प्रकार विधि स्पष्ट है। धारा 14(1) और धारा 14(1–A) के अनुसार, मूल्यवर्धित कर के लिए दायी किसी माल का मूल्य, कीमत होना माना जाता है जैसा इस प्रावधान में सन्दर्भित है। धारा 14(1) धारणा उपबन्ध है जैसा कि यह ऐसे माल के माने गये मूल्य की बात करता है। इसलिए, सामान्यतः आंकलन अधिकारी को कीमत के आधार पर कार्य करना अपेक्षित है जिसका वास्तव में भुगतान किया गया है और इसको आंकलन मूल्य/ सौदा मूल्य के रूप में मानना अपेक्षित है। यह, सामान्यतः कार्य का प्रक्रम है जिसे आंकलन अधिकारी द्वारा अनुसरण किये जाने की आवश्यकता होती है सौदा मूल्य पर पहुँचने का सिद्धान्त आंकलन मूल्य होना लागू होता है यह भी सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण नियमावली के नियम 4(1) और नियम 3(1) का प्रभाव है, अर्थात्, न्यायनिर्णीयन करने वाला अधिकारी वास्तविक भुगतान या माल के देय मूल्य को सौदा मूल्य स्वीकर करने के लिए बाध्य है। हालांकि, इसके अपवाद बनाये गये है और नियम 4(2) में उल्लिखित हैं। इस प्रावधान के अनुसार, इण्ट्री ऑफ बिल में उल्लिखित सौदा मूल्य को उसी स्थिति में छोड़ा जा सकता है जब यह पाया जाता है कि समान मूल्य या समान मालों का कोई भी आयात एक ही समय में उच्च मूल्य पर किया गया है या यदि क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से सम्बन्धित है। इस तरह के प्रावधान को लागू करने के लिए यह आकलन अधिकारी पर अवलंबित है कि इण्ट्री ऑफ बिल में घोषित सौदा मूल्य को क्यों अस्वीकार किया जा रहा था, यह स्थापित करने के लिए कि कीमत अकेला प्रतिफल नहीं है और सामग्री द्वारा समर्थित कारण देना जिसके आधार पर आंकलन अधिकारी अपने आंकलन मूल्य पर पहुँचा।

(11) **साउथ इण्डिया टेलीविजन (प्रा.) लिमिटेड** में, न्यायालय ने स्पष्टीकृत किया कीमत से मूल्य कैसै निकाला जाता है और किन परिस्थितियों में धारा 14(1) में दिया गया डीम्ड वैल्यू निकाला जा सकता है। उक्त निर्णय में निम्नलिखित परिचर्चा को नीचे उद्धृत करने की आवश्यकता है–

> "10. हम इस सिविल अपील में निम्नलिखित कारणों से कोई योग्यता नहीं पाते हैं। कीमत से मूल्य निकाला गया है। मूल्य कीमत का फलन है। यह मूल्य का अवधारणात्मक अर्थ है। धारा 2(41) के अन्तर्गत, "मूल्य" को अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार निर्धारित औसत मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 माल के मूल्यांकन को शासित करने की विधि का कोष मात्र है। सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली 1988 केवल आयातित माल के सम्बन्ध में बनाया गया है । निर्यात माल के मूल्यांकन को शासित करने का कोई नियम नहीं है। यह स्वंय धारा 14 के आधार पर किया जाना चाहिए। वर्तमान वाद में,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विभाग ने प्रत्यर्थी आयातक को कीमत के सम्बन्ध में कथित गलत घोषणा के लिए आरोप लगाया है। माल के वर्णन के सन्दर्भ में गलत घोषणा का कोई आरोप नहीं है। वर्तमान वाद में, कम इनवॉयस बनाने का आरोप है। कम कीमत का आरोप समकालीन आयातित समान माल के कीमत के साक्ष्य द्वारा समर्थित किया है विभाग को यह साबित करना है कि प्रकट वास्तविक नहीं है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(41) के अन्तर्गत शब्द "मूल्य" किसी माल के सम्बन्ध में धारा 14(1) के प्रावधानों के अनुसार अवधारित मूल्य है। बिल ऑफ इण्ट्री में घोषित किया गया मूल्य उक्त सन्दर्भित मूल्य है और मात्र इन्वॉयस कीमत नहीं है।

XXX XXX XXX

12. हालांकि, विभाग को इन्वॉयस कीमत को अस्वीकृत करते हुए ऐसी अस्वीकृति के लिए निश्यचात्मक कारण देना होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इनवॉयस कीमत आंकलन मूल्य का आधार बनते हैं। इसलिए, आंकलन मूल्य को गलत या अस्वीकार्य के रूप में अस्वीकार करने के पहले, विभाग को यह पता लगाना होता है कि क्या उसी समय के दौरान एक जैसे माल या समान माल का ऊँचीं कीमत पर कोई आयात हुआ है। जब तक इस सम्बन्ध में साक्ष्य को एकत्रित किया जाता है, तब तक धारा 14(1–A) को लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में, इन्वॉयस कीमत को सौदा मूल्य के रूप में स्वीकार करना होगा। इन्वॉसय मूल्य का साक्ष्य है। आयातित माल के मूल्य के साक्ष्य के रूप में आयातक द्वारा प्रस्तुत इन्वॉयस पर सन्देह प्रकट करते हुए इसे अस्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। कम मूल्यांकन को साबित करना होगा। यदि कम मूल्यांकन का आरोप साक्ष्यों द्वारा या तुलनात्मक आयातों के बारे में सूचना द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता, तो सन्देह का लाभ आयातक को मिलना चाहिए। यदि विभाग कम मूल्यांकन को आरोपित करना चाहता है, तो उसे विस्तृत जाँच, सामग्री को एकत्रित करना और पर्याप्त साक्ष्य को भी देना चाहिए। जब कम मूल्यांकन को आरोपित किया गया है, विभाग को इसे साक्ष्य द्वारा तुलनात्मक आयातों के बारे में सूचना को साबित करना होगा। कम मूल्यांकन को साबित करने के लिए, यदि विभाग निर्यातक देश में की गयी घोषणा पर निर्भर रहता है तो यह दिखाना होता है कि कैसे ऐसी घोषणा प्राप्त की गयी। हम स्पष्टीकृत कर सकते हैं कि साक्ष्य के कठोर नियम कार्यवाहियों को निर्णीत करने पर लागू नहीं होते हैं। वे न्यायालय की कार्यवाही पर कठोर रूप से लागू होते हैं। हालांकि,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यहाँ तक कि न्यायनिर्णयन कार्यवाही में, मूल्यांकन अधिकारी को उन दस्तावेजों के संभावित मूल्य का परीक्षण करना होता है जिन पर विभाग द्वारा कम मूल्यांकन के आरोप के समर्थन में सहारा लिया गया है। एक बार विभाग ऊँची कीमत पर समकालीन आयात के साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त विस्तार को साबित करने के भार से मुक्त हो जाता है तो यह स्थापित करने का भार आयातक पर आ जाता है कि उसके द्वारा निर्भर इन्वॉयस वैध है। इसलिए, कम इन्वॉयस का आरोप उसी प्रकार के माल के समकालीन आयात की कीमत के साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए।

13. धारा 14(1) "माना गया मूल्य" के बारे में बताती है। इसलिए, इन्वॉयस कीमत विवादित हो सकती है। तथापि, विभाग को यह साबित करना है कि इन्वॉयस कीमत गलत है। जब ऊँची कीमत पर समकालीन आयात का कोई साक्ष्य नहीं है, तो इन्वॉयस कीमत स्वीकृत होने के लिए दायी है। निर्यात घोषणा में मूल्य, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली के अन्तर्गत आंकलन मूल्य के अवधारण पर निर्भर हो सकती है और उस मूल्य को निर्धारित करने के लिए नहीं, जिस पर माल समय और आयात के स्थान पर सामान्यतः बेचे जाते हैं। यह वहाँ है जहाँ मूल्य और कीमत में परिचर्चा में अवधारणात्मक अन्तर आता है।"

(12) आक्षेपित निर्णय में दिए गए अधिकरण के अवलोकनों को उपरोक्त निर्णय में विर्निदिष्ट विधि के सिद्धान्तों के प्रकाश में समझा जाना है, यद्यपि अधिकरण ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि सामान्य नियम है आंकलन मूल्य पर वास्तविक भुगतान की गयी कीमत के आधार पर पहुँचा जाना चाहिए जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रावधानित किया गया है और इसके द्वारा विधि निर्णयों में सन्दर्भित किए गए हैं (अधिकरण के प्रस्तर 5 में अपने निर्णय में सन्दर्भित किया जो इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों का अनुसरण करता है)।

(13) इसलिए प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री दुष्यन्त ए. दवे, ने सही ही तर्क दिया कि आदेश को अपास्त करने का कारण दिया गया कि सामान्य नियम यह था कि आंकलन मूल्य पर वास्तविक भुगतान की गयी कीमत के आधार पर पहुँचा जाना चाहिए और इसको बिल ऑफ एण्ट्री में बताया गया था। अधिकरण ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यह घोषित केवल निश्चयात्मक कारणों के प्रयोग द्वारा अस्वीकृत की जा सकती थी जिनके आधार पर आंकलन अधिकारी यह धारण कर सकता था कि भुगतान कीमत सौदा मूल्य का एकमात्र प्रतिफल नहीं था। चूँकि आंकलन प्राधिकारी द्वारा बिल ऑफ एण्ट्री में घोषित कीमत को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अस्वीकृत करने में इसका प्रयोग नहीं किया गया है, मूल में आदेश इस प्रकार स्पष्टतः गलत था।

(14) **सीमा शुल्क आयुक्त बनाम प्रभु दयाल प्रेम चन्द 5(2010) 13 एससीसी 535** के वाद में, इस न्यायालय ने लगभग समान प्रकार की परिस्थिति का सामना किया था। बाद में लन्दन मेटल एक्सचेंज (संक्षिप्त में LME) से प्राप्त इस प्रभाव की सूचना के आधार पर कि ब्रास स्क्रेप और कॉपर स्क्रेप नाम के दो मेटल की कीमत आयात के दिनांक पर LME में प्रत्यर्थी द्वारा घोषित कीमत से ज्यादा थी, उक्त दो बिल ऑफ एण्ट्री पर कर निर्धारिती से अतिरिक्त कर क्रमशः 90,248 रूपये और 1,94,035 रूपये की माँग की। अधिकरण द्वारा यह आदेश अपास्त कर दिया गया और सीमा शुल्क द्वारा इसके विरूद्ध अपील इन न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी। न्यायालय ने कर निर्धारिती की दलील को स्वीकार करते हुए उल्लिखित किया कि बिल ऑफ एण्ट्री में उनके द्वारा घोषित मूल्य को बढ़ाने के लिए राजस्व द्वारा किसी भी समकालीन सामग्री से उनका सरोकार नहीं हुआ था। इसने अधिकरण के निम्नलिखित टिप्पणीयों को भी उल्लेखित किया–

> "वर्तमान वाद में जैसा कि उपरोक्त बताया गया है, यद्यपि उप आयुक्त द्वारा पारित आदेश में समकालीन आयात का सन्दर्भ है ऐसे आयात से सम्बन्धित कोई सामग्री हमारे समक्ष न ही रखी गयी है या किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध करायी गयी। इसलिए, इस वाद में मूल्यांकन जैसे कि LME बुलैटिन के आधार पर शुद्ध रूप से बनाये गये, आयात के किसी पुष्टिकरण साक्ष्य के बिना ऐसी कीमत के निकट या पर लिया जाता है जो कानून के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं है। इसलिए हम आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और अपील को स्वीकृत करते हैं।"

अपीलों के खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया:

> "यह अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश से प्रकट होता है कि किसी समकालीन आयात या LME द्वारा अधिसूचित मूल्य को दर्शित करने वाली किसी अन्य सामग्री का कोई विवरण या तो न्यायनिर्णयन करने वाले अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन आदेश में सन्दर्भित नहीं किया गया था या अपील की सुनवाई के समय ऐसी सामग्री अधिकरण के समक्ष रखी गयी थी। राजस्व के विद्वान अधिवक्ता अधिकरण के उक्त अवलोकनें का खण्ड़न करने में सक्षम नहीं हुए। मामले के दृष्टिगत अधिकरण द्वारा पारित आदेश

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है जो निर्धारित के विरूद्ध बनाई गयी अतिरिक्त माँग को अपास्त करता हो।"

(15) हम, इस प्रकार, इन अपीलों में कोई गुण नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं।

.....

(न्यायमूर्ति, ए.के. सीकरी)

.....

(न्यायमूर्ति, एस. अब्दुल नजीर)

नई दिल्ली

10 दिसम्बर 2018.

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।